

नीलामी सूचना 03/2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भीलवाडा जिले के इस कार्यालय क्षेत्राधिकार में अवैध खनन/निर्गमन चैकिंग के दौरान राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 के नियम 54, 60 व 61 के तहत क्षेत्र में जब्तशुदा बजरी अनुमानित मात्रा 2436 टन आरक्षित दर 500/-रु प्रतिटन (दर जिला टास्क फोर्स भीलवाडा) पर जैसी है उसी स्थिति में नीलामी हेतु दरे सीलबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है जिसका विवरण विभागीय वेबसाईट www.mines.rajasthan.gov.in एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी प्रपत्र 1,000/-रु का डी.डी./बैंक चैक खनि अभियन्ता बिजौलिया (Mining Engineer Bijoliya) के नाम से जमा कराकर किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 08-07-2025 सांय: 05:00 बजे तक रोकड़ शाखा कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग बिजौलिया (राज.) से प्राप्त किये जा सकते हैं।

क्षेत्र में पड़ी जब्तशुदा बजरी कुल मात्रा करीबन 2436 टन की बोली दरे मय बयाना/अमानत राशि 24360/-का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंक चैकर्स जो खनि अभियन्ता बिजौलिया के नाम हो, सीलबन्द लिफाफे में दिनांक 09-07-2025 सांय: 5 बजे तक प्राप्त की जायेगी। निर्धारित समय तक प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा दिनांक 10-07-2025 प्रात: 11:00 बजे उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोले जायेंगे, नीलामी की शर्तें एवं विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.mines.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगी व किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।


(प्रवीण कुमार अग्रवाल)
खनि अभियन्ता
बिजौलिया

नीलामी हेतु उपलब्ध बजरी का विवरण

भीलवाडा जिले में इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में अवैध खनन/निर्गमन चैकिंग के दौरान जब्तशुदा खनिज बजरी (जैसी हैं उसी स्थिति में) पड़ी हुई है, जिसे दिनांक 10-07-2025 को नीलाम किया जाना है।

क्र. स.	क्षेत्र का नाम जहां जब्त की हुई बजरी पड़ी हुई है।	खसरा नंबर	अक्षांतर/देशांतर	बजरी की अनुमानित मात्रा (टन में)
1	मुकुन्दपुरिया तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा	20	अक्षांतर N 25°15'46.37" देशांतर E 75°03'19.81"	2436
Total				2436

निविदा कार्यवाही हेतु शर्तें निम्नानुसार रहेगी:- नोट निविदा प्रस्तुत करने की तिथि तक यदि राज्य सरकार/विभाग द्वारा निविदा शर्तों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह मान्य होगा।

1. निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से कार्यालय खनि अभियन्ता बिजौलिया के क्षेत्राधिकार में एकत्रित बजरी नीलामी हेतु आवेदन लिखा होना चाहिए। सभी निविदाये कार्यालय खनि अभियन्ता बिजौलिया (राज.) के कमरा नं. 1 पर रखे हुए टेण्डर बॉक्स में दिनांक 09-07-2025 तक डाली जा सकेंगी।
2. प्रत्येक थाना क्षेत्र/चौकी के अनुसार बयाना/अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो खनि अभियन्ता बिजौलिया के नाम हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कराना होगा।
3. निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदा दाता या फर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, कम्पनी के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध विभाग की कोई राशि बकया नहीं है।
4. जब्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा की जानकारी/निरिक्षण किसी भी कार्यदिवस में सम्बन्धित क्षेत्र/परिसर में की जा सकती है।
5. सफल निविदा दाता को जब्तशुदा बजरी क्षेत्र/परिसर में जैसी भी, जितनी भी जहां भी है, उसी स्थिति में स्वयं के खर्चे पर उठानी होगी।
6. प्राप्त निविदाएँ कमेटी द्वारा दिनांक 10-07-2025 को प्रातः 11:00 AM बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष खनि अभियन्ता बिजौलिया कक्ष संख्या 1 में खोली जायेगी एवं सफलतम निविदादाता को घोषणा संलग्न दस्तावेज पूर्ण व सही पाये जाने पर की जावेगी एवं सफलतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा सफल निविदादाता को आदेश प्राप्ति के 3 कार्यदिवस में संपूर्ण राशि जमा करानी होगी। सफल निविदादाता को परिवहन हेतु अवधि अधिकतम 20 दिवस ही अनुमति होगी। अन्यथा जमा राशि जब्त करते हुए बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले जी जावेगी।
7. सफल निविदादाता को सम्बन्धित क्षेत्र/परिसर की खनिज बजरी के स्टॉक को उठाने की कार्यवाही लोडिंग, अनलोडिंग लेबर व परिवहन ईत्यादि स्वयं के स्तर पर एवं स्वयं के व्यय पर ही करनी होगी इसमें विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा।

8. निविदादाता को एड्रेस प्रुफ, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं G.S.T. पंजीकरण इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण-पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्यारनामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल निदेशकों की सूची इत्यादि को स्वयं प्रमाणित प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी।
9. सफल निविदा दाता को बोली राशि के अलावा नियमानुसार देय GST/TCS/DMFT/RSMET की राशि अतिरिक्त जमा करा कर विभाग को अधिकतम 3 कार्यदिवस में चालान प्रस्तुत करना होगा।
10. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा के संबंध में यदि कोई उज्र/आपत्ति होने पर निर्णय करने से सम्बन्धित समस्त सर्वाधिकार नीलामी खनि अभियन्ता बिजौलिया के पास सुरक्षित होंगे।
11. सफल निविदादाता परिवहन विभाग द्वारा प्रत्येक वाहन की अनुमत क्षमता के अनुसार ही बजरी परिवहन की अनुमति प्रदान की जायेगी।
12. बजरी को एक समय में कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम बजरी के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
13. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा। स्टॉक के बेलेंस की गणना कर रजिस्टर की फोटों सम्बन्धित खनि अभियन्ता, अधीक्षण खनि अभियन्ता सतर्कता को व्हाट्सएप पर भेजने के पश्चात् ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
14. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना, वाहनों की फोटों एवं कम्प्युटरीकृत/अधीकृत तुलायंत्र की वजन पर्ची क्षेत्र के संबंधित नंबर अंकित अधिकारियों को Whatsapp पर भेजने के पश्चात् ही वाहनों को रवन्ना किया जा सकेगा।
15. नीलाम की गई बजरी को पुनः भण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफल निविदादाता बजरी को सीधे ही उपयोगित स्थान पर परिवहन करेगा।
16. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिकों स्टॉक की फोटो, वाहनों की तोल पर्चिया एवं भरे हुए वाहनों के फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।
17. प्रत्येक स्टॉक को निर्धारित समय (20 दिवस) में नहीं हटाने पर विभाग पुनः नीलाम कर सकेगा और इस संबंध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
18. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रति संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।
19. खनिज के परिवहन हेतु विभाग कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मैनुअल रवन्ना जारी किया जायेगा।
20. खनिज के परिवहन में जी.पी.एस. युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी।
21. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरान्त कार्यालय खनि अभियन्ता बिजौलिया द्वारा वाहन के वजन क्षमता अनुसार रवन्ना जारी किया जायेगा तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।

4-4

22. शेष सभी शर्तें सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार होगी।

23. उक्त नीलामी माननीय न्यायालय से नीलामी हेतु अनुमति प्राप्त होने के अध्यक्षीन रहेगी।

24. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र बिजौलिया होगा।

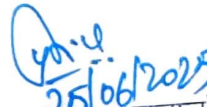
25. उक्त नीलामी स्थगित करने, नीलामी को फाईनल करने अथवा निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।


(प्रवीण कुमार अग्रवाल)
खनि अभियन्ता
बिजौलिया

क्रमांक:-खअ/बिजौ/निविदा/2025/805-813 दिनांक:- 25-06-2025

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. श्रीमान निदेशक महोदय खान एवं भू विज्ञान विभाग राजस्थान उदयपुर
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा
3. श्रीमान अतिरिक्त निदेशक महोदय (खान), उदयपुर जोन उदयपुर
4. श्रीमान अधीक्षण खनि अभियन्ता भीलवाडा वृत्त भीलवाडा
5. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय माण्डलगढ
6. श्रीमान थानाधिकारी पुलिस थाना बिगोद तह0 माण्डलगढ
7. सम्बन्धित खनि कार्यदेशक।
8. सूचना सहायक कार्यालय हाजा।
9. प्रभारी अधिकारी DMGOMS निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग राजस्थान उदयपुर की विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


(प्रवीण कुमार अग्रवाल)
खनि अभियन्ता
बिजौलिया